(1)

अनुसूचित जनजाति उपयोजनान्तर्गत

संख्याः- 272 / III(2)/11-07(प्रा0आ0)/2011

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 24 मार्च, 2011

विषयः- **जनपद देहरादून में शिमला बाईपास मोटर मार्ग, शेरपुर प्राथमिक विद्यालय से आसन नदी तक मार्ग का निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा जनपद देहरादून में शिमला बाईपास मोटर मार्ग, शेरपुर प्राथमिक विद्यालय से आसन नदी तक मार्ग, जिसकी लम्बाई 0.800 किमी0 है, के निर्माण हेतु प्रथम चरण के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आगणन पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित धनराशि ₹ 1.28 लाख (₹ एक लाख अठ्ठाईस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 0.25 लाख (₹ पच्चीस हजार मात्र) को व्यय करने की, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:- 1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

5- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

7- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों तथा बजट मैनुअल के उल्लिखित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

महिमा

8- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शास[illegible] सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते [illegible] आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

10- इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-31-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत. -796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01 नया निर्माण कार्य-00-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

11- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 848/XXVII/(2)/2010 दि0: 24 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या:- 272 (1)/।।।(2)/11-07(प्रा0आ0)/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, जनपद देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि. पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0 देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।
10. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव